

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

‘ऑपरेशन कनविकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपए 05,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविकशन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 05 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा वादी के पुत्र की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त परमानन्द कुर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 दीपांशी दीक्षित, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री राय साहब व थाना खरगपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व रुपये 05,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. परमानन्द कुर्मी पुत्र जियालाल कुर्मी निवासी ग्राम सुभागपुर कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-099/2004, धारा 302 भादवि थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

चोरी की योजना बनाते समय 02 शतिर चोर गिरफ्तार, 01 अदद तमंचा मय जिन्दा कारतूस, 01 अदद अवैध चाकू व चोरी करने के उपकरण बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तलर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय 02 शातिर अभियुक्तों- 01.लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बजरंगी व 02. रक्षाराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद अवैध चाकू व चोरी करने के उपकरण 01 अदद लोहे का शब्बल, 01 अदद आरी लोहे की (हेक्सा) व 02 अदद आरी ब्लेड, 01 अदद कीपैड मोबाइल, 01 अदद छोटी प्लास्टिक टार्च बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बजरंगी पुत्र शिववरन कोरी निवसी ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
02. रक्षाराम पुत्र गुन्नू कोरी निवसी ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-506/23, धारा 41, 401 भादवि व 3/4/25 आर्मस एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस,
02. 01 अदद अवैध चाकू
03. 01 अदद की-पैड मोबाइल
03. चोरी करने के उपकरण 01 अदद लोहे का शब्बल, 01 अदद आरी लोहे की (हेक्सा) व 02 अदद आरी ब्लेड, , 01 अदद छोटी प्लास्टिक टार्च

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

व0उ0नि0 धर्मेन्द्र गौतम मय टीम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने व वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर लड़की को बहला-फुसलाकर अपने प्रेमजाल में फँसाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का वीडियो बनाने का वांछित अभियुक्त अमन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फँसा लिया तथा उसका फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध पीडिता के पिता द्वारा थाना को0 देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमन शर्मा पुत्र मुरली शर्मा निवासी भटपुरवा मौजा विशुनागा थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 619/2023, धारा 376(3), 328, 385 भादवि व धारा 5(L)/6 व 13/14 पाक्सो एक्ट व धारा 66-E, 67-B IT Act व धारा 3(2)/5 SC/ST Act थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामअशीष मौर्या मय टीम थाना कोतवाली देहात गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मिश्र ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित शिवानन्द साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को० नगर क्षेत्र की रहने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवानन्द साहू पुत्र राघवराम निवासी स्टेट बैंक के पास बालपुर बाजार थाना करनैलगंज गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 934/2023, धारा 376, 504, 506 भादवि थाना को०नगर जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तगणों को हुई 01-01 वर्ष का कारावास व रूपए 01-01 हजार के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तगणों को 01-01 वर्ष का कारावास व रु0 01-01 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

थाना कौड़िया पुलिस ने बलवा व मारपीट करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. मायाराम, 02. रुसे, 03. ज्ञानचन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार मुख्य राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर न्यायाधीश कोर्ट-03 ने 01-01 वर्ष का कारावास व रुपये 01-01 हजार की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. मायाराम पुत्र रामेश्वर नि0 सिसई रानी परसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. रुसे पुत्र लंगड उर्फ जगन्नाथ नि0 सिसई रानी परसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. ज्ञानचन्द्र पुत्र नानमून नि0 सिसई रानी परसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-84 / 2015, धारा 147,323,304,34 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 06 आरोपी अभियुक्तगणों को हुई 05-05 वर्ष का कारावास व रूपए 13-13 हजार के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट करने के 06 आरोपी अभियुक्तगणों को 05-05 वर्ष का कारावास व रु0 13-13 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

थाना कौड़िया पुलिस ने बलवा व मारपीट करने के आरोप में 06 आरोपी अभियुक्तों- 01. नानबाबू लोनिया, 02. पारसनाथ, 03. कप्तान, 04. प्रेमनाथ, 05. प्रहलाद, 06. खल्लन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार मुख्य राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर न्यायाधीश कोर्ट-03 ने 05-05 वर्ष का कारावास व रूपये 13-13 हजार की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. नानबाबू लोनिया पुत्र प्रहलाद नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. पारसनाथ पुत्र चुरई लोनिया नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. कप्तान पुत्र चुरई लोनिया नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
04. प्रेमनाथ पुत्र चुरई लोनिया नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
05. प्रहलाद पुत्र मुन्ना लोनिया नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
06. खल्लन लोनिया पुत्र शंकर नि0 कोयलहा मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-207/2015, धारा 147,323,304,34 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।